



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3168]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/श्रावण 19, 1940

No. 3168]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2018

**का.आ. 3964(अ).**—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की संख्या का.आ. 3578 (अ) तारीख 9 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, यह निदेश देते हैं कि राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से संघ के अधीन आने वाले सभी सिविल पद निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाएंगे:-

क्रम संख्या	पदों का वर्णन	पदों का वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 से 18 तक वेतन वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद	समूह 'क'
2.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 से 9 तक वेतन वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद	समूह 'ख'
3.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 से 5 तक वेतन वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद	समूह 'ग'

**स्पष्टीकरण:** इस आदेश के प्रयोजन के लिए किसी पद के संबंध में 'स्तर' से केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग 'क' की तीसरी पंक्ति में विनिर्दिष्ट स्तर अभिप्रेत है।

[फा. सं. 11012/10/2016-स्था.क-III]

जानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS****(Department of Personnel and Training)****ORDER**

New Delhi, the 9th August, 2018

**S.O. 3964(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with rule 6 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) number S.O. 3578(E), dated the 9<sup>th</sup> November, 2017, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to person serving in the Indian Audit and Accounts Department, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby directs that with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, all civil posts under the Union, shall be classified as follows:-

S.No.	Description of Posts	Classification of posts
(1)	(2)	(3)
1	A Central Civil Post carrying the pay in the Pay Matrix at the Level from 10 to 18.	Group A
2.	A Central Civil Post carrying the pay in the Pay Matrix at the Level from 6 to 9.	Group B
3.	A Central Civil Post carrying the pay in the Pay Matrix at the Level from 1 to 5.	Group C

**Explanation.**—For the purpose of this Order, ‘Level’ in relation to a post means, the Level specified in third row of Part A of the Schedule to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.

[F. No. 11012/10/2016-Estt.A-III]

GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.